राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

49वीं बैठक दिनांक 26 मई, 2014 का कार्यवृत्त

श्रीमती मंजु अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

मुख्य महाप्रबंधक महोदया ने मुख्य अतिथि श्री एम. एच. खान, प्रमुख सचिव (एम0एस0एम0ई0), उत्तराखंड शासन एवं राज्य सरकार तथा सहयोगी बैंकों के उच्च अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछली एस0एल0बी0सी0 बैठक जोकि 24 फरवरी, 2014 में संपन्न हुई थी, के बाद सरकार एवं बैंकों ने मिलकर राज्य में ऋण प्रवाह को गति देते हुए प्रदेश के विकास में सामूहिक प्रयास किया है। मार्च, 2014 त्रैमास के दौरान सभी बैंकों के जमाराशियों में `2905 करोड़ एवं अग्रिमों में `6225 करोड़ की वृद्धि हुई और राज्य का ऋण-जमा अनुपात 60 % रहा।

उन्होंने बैंकों द्वारा, भूमि अभिलेखों पर ऑन लाइन प्रभार - समस्त विवरण सहित अंकित करने हेतु तैयार किये गये, "सॉफ्टवेयर" को संचालित करने का राज्य सरकार से शासनादेश जारी करने हेतु आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि बैंकों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल की व्यवहार्यता पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकिंग लेन-देन की राशि एवं आहरण की संख्या बहुत कम होती है। इस मॉडल को पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवहार्य बनाने के लिये बी.सी. को ऑन लाइन बैंकिंग गतिविधियों हेतु लैपटॉप, प्रिंटर आदि एवं इनके अतिरिक्त `3000/- प्रतिमाह का मानदेय उपलब्ध कराने का नाबार्ड से पुन: अनुरोध किया।

मुख्य महाप्रबंधक महोदया ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत होटल/रेस्टोरेंट निर्माण के लिये बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों की कृषि भूमि को वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकार से उपयुक्त शासनादेश जारी करने का भी आग्रह किया।

उत्तराखंड राज्य में बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सभी गाँवों में संचालित करने में बी.एस.एन.एल. की ब्रॉड बैण्ड / वाई-मैक्स कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता एक अवरोध है। अत: राज्य सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से पुन: अनुरोध किया कि सभी शेष गाँवों में चरणबद्ध तरीके से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की शीघ्र व्यवस्था करें।

अंत में, उन्होंने राज्य सरकार, बैंकों एवं मीडिया से आये सदस्यों का अभिवादन किया एवं आपस में आपसी सहयोग बनाये रखने हेतु धन्यवाद दिया।

श्री एम.एच. खान, प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन

प्रमुख सचिव महोदय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और बैंकों से अनुरोध किया कि एस.एल.बी.सी. बैठक में उद्धृत कार्य बिंदुओं पर की जाने वाली कार्रवाई एक निश्चित समयसीमा के अंदर अनिवार्य रुप से पूर्ण कर ली जानी चाहिये।

उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना, केबिनेट की स्वीकृति के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी जायेगी।

उन्होंने अवगत कराया कि उत्तरकाशी और चम्पावत जिलों में बैंक द्वारा आरसेटी स्थापित करने हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। देहरादून के आरसेटी संस्थान हेतु चयनित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करवाने हेतु सचिव (शहरी विकास) को पुन: पत्र लिखा जा रहा है।

उन्होंने राज्य सरकार की ओर से बैंकों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और बैंकों से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के आवेदन शीघ्र निस्तारित करें और साथ ही इस हेतु लाभार्थियों द्वारा किये जाने वाली औपचारिकताओं से संबंधित जानकारियों का प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

<u>डा. उमा कान्त पंवार, सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन</u>

सचिव (पर्यटन) महोदय ने सदन को अवगत कराया कि उत्तराखंड में आयी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के प्रभावित जनपदों (रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर) के लिये "आपदाग्रस्त क्षेत्र पर्यटन आवासीय अनुदान योजना" प्रारम्भ की गयी है जो दिनांक 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रहेगी।

जिसकी मुख्य विशेषतायें इस प्रकार है : -

1) योजनांतर्गत कम से कम **2** कक्षों तथा शौचालय का निर्माण आवश्यक हैं।

2) पर्यटन विकास परिषद से **मानक प्रमाण पत्र** प्राप्त करना होगा।

3) पूँजी संकर्म का **50%** अथवा अधिकतम `**25** लाख राज सहायता / अनुदान देय होगा।

4) बैंक ऋण पर लाभार्थियों को प्रथम दो व़र्षों तक कोई ब्याज नहीं देना होगा, देय ब्याज सरकार द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अदा किया जायेगा एवं दो व़र्षों के उपरांत ऋणी को मात्र **4%** ब्याज देना होगा शेष सरकार द्वारा दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में **दो योजनायें** और प्रारम्भ की गयी हैं :

अ) प्राकृतिक आपदा के कारण वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के व़ाहन स्वामियों को क्षति के दृष्टिगत विशेष छूट निम्नवत् है :

1) प्रभावित वाहन स्वामी को अपना प्रत्यावेदन शासनादेश (1014/VI/2014-04(07)/2014 दिनांक 08 मई, 2014) के निर्गत होने की तिथि से 6 माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा।
2) प्रार्थी के लम्बित अवशेष ऋण का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।
3) ऐसे प्रभावित वाहन स्वामी पुन: वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

ब) उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (पर्यटन ग्राम क्लस्टर योजना) प्रारम्भ की है जिसकी निम्न विशेषतायें हैं :

1) योजनांतर्गत कम से कम 3 ग्राम और अधिक से अधिक 10 ग्रामों के समूह चयनित किये जायेंगे।
2) चयनित लाभार्थी द्वारा निजी भवनों पर पर्यटकों की सुविधार्थ कम से कम 2 शय्यायुक्त आवासीय कक्ष (नयूनतम 100 वर्गफीट) एवं शौचालय / स्नानागार की व्यवस्था करनी होगी एवं अतिवास करने वाले पर्यटकों हेतु उचित खानपान की सुविधा अनिवार्य रुप से प्रदान करनी होगी।

3) एकल ग्राम हेतु अधिकतम `50 लाख (हार्डवेयर) एवं `10 लाख (सॉफ्टवेयर) एवं ग्रामों के समूह हेतु अधिकतम `200 लाख (हार्डवेयर) एवं `25 लाख (सॉफ्टवेयर) हेतु वित्तीय सहयोग अनुमन्य होंगे।

4) इस योजना के अंतर्गत निर्मित पर्यटन संपत्ति के स्वामी को पर्यटन विकास परिषद द्वारा मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

श्रीमति के. एस. ज्योत्सना, महाप्रबंधक, आर.बी.आई. देहरादून

महाप्रबंधक, आर.बी.आई. ने कहा कि जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात कम है वहाँ के अग्रणी जिला प्रबंधक सी.डी. रेश्यो बढ़ाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की मासिक अंतराल पर बैठक करें, जिसकी प्रगति रिपोर्ट आर.बी.आई. को प्रेषित की जाये।

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किये गये रोडमैप के अनुसार जिन बैकों ने 2013 के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है वे उन सभी ग्रामों में बैंकिंग सेवायें पहुँचाने का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें। साथ ही उन्होंने बी.एस.एन.एल. से वांछित गाँवों में प्राथमिकता के आधार पर ब्रॉड बैण्ड / वाई-मैक्स सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु अनुरोध किया।

श्री सी.पी. मोहन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन का ध्यान बैंकों के ऋण-जमा अनुपात की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेषकर पहाड़ी जिलों में। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 में से 6 पहाड़ी जिलों का सी.डी. रेश्यो 30% से कम है अत: इन जिलों के बैंकों को सी.डी. रेश्यो बढ़ाने के लिये कारगर योजनायें बनानी होंगी जिससे ऋण प्रवाह को गति मिले।

उन्होंने कहा कि जहाँ तक बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को **नाबार्ड की ओर से मानदेय** दिये जाने का प्रश्न है, इस विषय पर पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत बी.सी. के लिये नाबार्ड, देहरादून द्वारा एक **"केस स्डडी"** की जायेगी जिसकी रिपोर्ट तैयार कर वित्त मंत्रालय के निदेशक वित्तीय सेवायें, भारत सरकार एवं अपने केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई को संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

****